

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / २७६०/2023

दिनांक : १४.०९.२०२३

श्री हुकमसिंह राजपुरोहित (RJ00173), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जालोर को दिनांक 31.08.2023 से 02.09.2023 तक 03 दिनों का प्रावर्तित अवकाश दिनांक 03.09.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री राजपुरोहित की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जालोर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
14.09.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/36/2013/597।

दिनांक : १४.०९.२०२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जालोर को उनके पत्रांक 515 दिनांक 04.09.2023 के सन्दर्भ में।
- श्री हुकमसिंह राजपुरोहित (RJ00173), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जालोर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर।

14.09.2023
सहायक रजिस्ट्रार